

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHARAT ELECTRONICS LIMITED

(भारत सरकार का उद्यम)

(A Government of India Enterprise)

पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय - आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूर - 560 045

Registered & Corporate Office: Outer Ring Road, Nagavara, Bangalore - 560 045, CIN : L32309KA1954GOI000787

सूचना / NOTICE

प्रति

सभी शेयरधारक

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरधारकों की 60वीं वार्षिक सामान्य बैठक गुरुवार, दिनांक 25 सितंबर 2014 को अपराह्न 2.00 बजे बीईएल राष्ट्रकवि कुवम्पु कलाक्षेत्र (बीईएल पीयू महाविद्यालय के सामने, बीईएल अस्पताल और बीईएल कारखाने के पास), जालहल्ली, बेंगलूर-560 013 में निम्नलिखित कारोबार संचालित करने हेतु आयोजित की जाएगी -

सामान्य कारोबार

- 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ व हानि की विवरणी एवं यथा उस तिथि को तुलन पत्र और उसमें निदेशकों व लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदनों को प्राप्त करने, उस पर विचार करने और उसे अपनाने हेतु ।
- 21 फरवरी 2014 को पहले ही अदा किए गए ₹ 6 प्रति साम्या शेयर का अंतरिम लाभांश संपुष्ट करने हेतु तथा साम्या शेयरों पर अंतिम लाभांश घोषित करने हेतु ।
- श्री एम एल षण्मुख, जो चक्रानुक्रम से निवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण वे स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करने हेतु ।
- श्री पी सी जैन, जो चक्रानुक्रम से निवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण वे स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करने हेतु ।

विशेष कारोबार

सामान्य संकल्प

(क) निदेशक की नियुक्ति

- निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -
"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों के तारतम्य में, ले. जन. सी ए कृष्णन, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जिन्हें 30 मई 2014 को आयोजित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनकी नियुक्ति के लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से निदेशक के पद हेतु उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखते हुए लिखित में सूचना प्राप्त की है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्वारा किया जाता है जिनका कार्यकाल चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्ति द्वारा निर्धारित होगा।"

TO

ALL SHAREHOLDERS

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 60th Annual General Meeting of the Shareholders of Bharat Electronics Limited will be held on Thursday, the 25 September 2014, at 2.00 PM. at BEL Rashtrakavi Kuvempu Kalakshetra (Opposite BEL PU College and near BEL Hospital and BEL Factory), Jalahalli, Bangalore - 560 013 to transact the following business :-

ORDINARY BUSINESS

- To receive, consider and adopt the Statement of Profit & Loss for the year ended 31 March 2014 and the Balance Sheet as at that date and the Reports of the Directors and the Auditors thereon.
- To confirm the Interim Dividend of ₹ 6 per equity share already paid on February 21, 2014 and declare Final Dividend on Equity Shares.
- To appoint a Director in place of Mr M L Shanmukh, who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.
- To appoint a Director in place of Mr P C Jain, who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS

ORDINARY RESOLUTIONS

(A) Appointment of Director

- To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT Lt Gen C A Krishnan, UYSM, AVSM, who was appointed as Additional Director by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 30 May 2014, pursuant to provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013, to hold office upto the date of this Annual General Meeting and for the appointment of whom the Company has received a notice in writing under Section 160 of the Companies Act, 2013 from a member proposing his candidature for the office of Director, be and is hereby appointed as a Director of the Company whose period of office shall be liable to determination by retirement by rotation."

(ख) पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -
- "संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों के तारतम्य में, श्री पी आर आचार्या, जिन्हें 25 अक्टूबर 2013 को आयोजित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनकी नियुक्ति के लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से निदेशक के पद हेतु उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखते हुए लिखित में सूचना प्राप्त की है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्वारा किया जाता है जिनका कार्यकाल चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्ति द्वारा निर्धारित होगा।"

"इसके अतिरिक्त संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196 और 197 के प्रावधानों के तारतम्य में, कंपनी के सदस्य श्री पी आर आचार्या को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 24 मई 2013 तथा दिनांक 12 फरवरी 2014 में समाविष्ट निबंधनों के अनुसार दिनांक 02 सितंबर 2013 से प्रभावी करते हुए ₹ 75000-100000 के वेतनमान में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति किए जाने के लिए एतद्वारा अपने अनुमोदन की सूचना देते हैं।"

7. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों के तारतम्य में, श्री मनमोहन हाण्डा, जिन्हें 31 जुलाई 2014 को आयोजित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनकी नियुक्ति के लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से निदेशक के पद हेतु उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखते हुए लिखित में सूचना प्राप्त की है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्वारा किया जाता है जिनका कार्यकाल चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्ति द्वारा निर्धारित होगा।"

"इसके अतिरिक्त संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196 और 197 के प्रावधानों के तारतम्य में, कंपनी के सदस्य श्री मनमोहन हाण्डा को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 23 जून 2014 में समाविष्ट निबंधनों के अनुसार दिनांक 24 जून 2014 से प्रभावी करते हुए ₹ 75000-100000 के वेतनमान में पूर्णकालिक निदेशक (बेंगलूर काम्प्लेक्स) के रूप में नियुक्ति किए जाने के लिए एतद्वारा अपने अनुमोदन की सूचना देते हैं।"

(क) लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

8. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) जो कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक नियम), 2014 के साथ पढ़ा जाना है, के तारतम्य में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 30 मई 2014 को आयोजित इसकी बैठक में किए गए अनुमोदन के अनुसार, वित्तीय वर्ष

(B) Appointment of Whole Time Directors

6. To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolutions as Ordinary Resolutions:

"RESOLVED THAT Mr P R Acharya, who was appointed as Additional Director by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 25 October 2013, pursuant to provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013, to hold office upto the date of this Annual General Meeting and for the appointment of whom the Company has received a notice in writing under Section 160 of the Companies Act, 2013 from a member proposing his candidature for the office of Director, be and is hereby appointed as a Director of the Company whose period of office shall be liable to determination by retirement by rotation."

"FURTHER RESOLVED THAT pursuant to provisions of S. 196 & 197 of the Companies Act, 2013, the Members of the Company hereby convey their approval for the appointment of Mr P R Acharya as Director (Finance) in the Scale of Pay of ₹ 75000-100000, w.e.f. 02 September, 2013, as per terms contained in the Government of India, Ministry of Defence letters dtd 24 May, 2013 & 12 February 2014."

7. To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolutions as Ordinary Resolutions:

"RESOLVED THAT Mr Manmohan Handa, who was appointed as Additional Director by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 31 July 2014, pursuant to provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013, to hold office upto the date of this Annual General Meeting and for the appointment of whom the Company has received a notice in writing under Section 160 of the Companies Act, 2013 from a member proposing his candidature for the office of Director, be and is hereby appointed as a Director of the Company whose period of office shall be liable to determination by retirement by rotation."

"FURTHER RESOLVED THAT pursuant to provisions of S. 196 & 197 of the Companies Act, 2013, the Members of the Company hereby convey their approval for the appointment of Mr Manmohan Handa as Director (Bangalore Complex) in the Scale of Pay of ₹ 75000-100000, w.e.f. 24 June, 2014, as per terms contained in the Government of India, Ministry of Defence letter dtd 23 June 2014"

(C) Ratification of remuneration of the Cost Auditor

8. To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as Ordinary Resolution :

"RESOLVED THAT pursuant to S.148(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 14 of Companies (Audit and Auditors Rules), 2014 following remuneration to the Cost Auditors for conducting cost audit of the Company for the financial

2014-15 के लिए कंपनी की लागत लेखा परीक्षा करने के लिए लागत लेखा परीक्षकों को निम्नलिखित पारिश्रमिक दिया जाए और एतद्वारा उसका अनुसमर्थन किया जाता है -

- (क) वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी की लागत लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक मेसर्स पीएसवी एंड एसोसिएट्स, बेंगलूर को देय पारिश्रमिक - ₹ 5 लाख (कर अतिरिक्त), यात्रा और फुटकर खर्चों की प्रतिपूर्ति अतिरिक्त।
- (ख) इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक उपर्युक्त निर्धारित लेखा परीक्षा शुल्क को पुनरीक्षित (कम करने) करने के लिए प्राधिकृत हैं, यदि कंपनी (लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट) नियम, 2013 के अनुसार वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा की परिधि तथा यदि कंपनी (लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट) नियम, 2011 के तहत लेखा परीक्षा की परिधि से कार्य भार उल्लेखनीय रूप से कम हो।"

मंडल के आदेशानुसार,
कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

बेंगलूर
11 अगस्त 2014

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

नोट

- यथा उपरोक्त विशिष्ट कारोबार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 102 के तारतम्य में संबंधित व्याख्यात्मक विवरण यहाँ संलग्न है और इस सूचना का भाग है।
- वार्षिक सामान्य बैठक ("बैठक") में सम्मिलित होने और मतदान करने के हकदार सदस्य उनकी ओर से सम्मिलित होने और मतदान करने के लिए परोक्षी नियुक्त करने के हकदार हैं और परोक्षी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। बहरहाल, परोक्षी को नियुक्त करने के विलेख को बैठक के प्रारंभ होने से पहले, किंतु 48 घण्टों से कम समय पूर्व नहीं, विधिवत् पूर्ण रूप से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- बैठक में सम्मिलित होने वाले प्राधिकृत प्रतिनिधि को भेजने का आशय रखने वाले कार्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक में उनकी ओर से भाग लेने और मतदान करने हेतु अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत करते हुए मंडल के संकल्प की प्रमाणित प्रति कंपनी को भेजें।
- भारत सरकार की हरित पहल के भाग के रूप में, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने परिपत्र सं. 17/2011 तथा 18/2011 दिनांक क्रमशः 21 अप्रैल 2011 तथा 29 अप्रैल 2011 के माध्यम से, तुलन-पत्र, लाभ व हानि लेखा, लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन, निदेशकों का प्रतिवेदन, व्याख्यात्मक विवरण तथा अन्य दस्तावेजों के साथ वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा प्रेषित करने की अनुमति कंपनियों को दी है। इससे पहले सभी शेयरधारकों को यह सूचित किया गया था कि एक जिम्मेदार कार्पोरेट नागरिक के रूप में कंपनी एमसीए द्वारा किए गए हरित पहल को आगे बढ़ाते हुए अपने शेयरधारकों को उनके संबंधित डिमैट खातों में उनके द्वारा दिए गए तथा निक्षेपकर्ताओं द्वारा कंपनी को उपलब्ध कराए गए ईमेल पत्तों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना और अन्य दस्तावेज भेजेगी।

year 2014-15, as approved by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 30 May 2014, be and is hereby ratified :

- Remuneration payable to M/s PSV & Associates, Bangalore, Cost Auditor of the Company to conduct cost audit of the Company for the year 2014-15 : ₹ 5 lakhs (plus taxes) in addition to reimbursement of travel and out-of-pocket expenses.
- Further, the Chairman & Managing Director is authorized to revise (downward) the above fixed audit fee, if the scope of Audit for the year 2014-15, as per The Companies (Cost Audit Report) Rules, 2013 and the work load is significantly less from the scope of Audit under the Companies (Cost Audit Report) Rules, 2011."

By order of the Board,
For Bharat Electronics Limited

Bangalore
11 August 2014

S Sreenivas
Company Secretary

NOTE

- Relevant Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 (the Act), in respect of Special Business as set out above is annexed hereto and forms part of the Notice.
- A Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting (the "meeting") is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the proxy need not be a Member of the Company. The instrument appointing a proxy should, however, be deposited at the Registered Office of the Company duly completed, not less than 48 hours before the commencement of the meeting.
- Corporate members intending to send their authorised representatives to attend the Meeting are requested to send to the Company a certified copy of the Board Resolution authorising their representative to attend and vote on their behalf at the Meeting.
- As part of Government of India's Green Initiatives, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its Circular Nos. 17/2011 and 18/2011 dated 21 April 2011 and 29 April 2011 respectively, has permitted companies to dispatch Notice of AGM with Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, Auditors' Report, Directors' Report, Explanatory Statement and other documents through electronic mail. It was communicated to all the Shareholders earlier that the Company, as a responsible corporate citizen, in furtherance of the Green initiatives taken by MCA, will be sending the Notice of AGM and other documents to its shareholders through electronic mode to the email address furnished by the shareholders in their respective Demat Accounts and made available to the Company by the Depositories.

भारत सरकार की हरित पहल के समर्थन में तथा अधिनियम की धारा 101 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 18 के परिप्रेक्ष्य में, वार्षिक सामान्य बैठक की यह सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन सहित अन्य दस्तावेज ईमेल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसे शेयरधारकों को भेजे जा रहे हैं, जिन्होंने अपने डीमैट खातों में ईमेल का पता दिया है।

बहरहाल, सदस्य कृपया नोट करें कि वे आवश्यकता प्राप्त करने पर, लाभ व हानि के विवरण और लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित कंपनी के तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न किए जाने वाले सभी दस्तावेजों की हार्ड प्रति निःशुल्क प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे।

दस्तावेज भौतिक रूप में प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य कंपनी के पंजीयक, मे. इंटीग्रेटेड इंटरप्राइजेस (इंडिया) लि. को डीमैट खाते के ब्योरे विधिवत् देते हुए यथाशीघ्र सूचित करें। वैकल्पिक रूप से, अपने डीमैट खाते के ब्योरे को विधिवत् उद्धृत करते हुए अनुरोध को ईमेल आईडी **irg@integratedindia.in** पर ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है।

एमसीए द्वारा उसके उपरोक्त परिपत्रों में यथा निर्देशित, कंपनी इन दस्तावेजों को शेयरधारकों के अवलोकनार्थ एवं उनके द्वारा डाउनलोड करने के लिए कंपनी की वेबसाइट यानी **http://www.bel-india.com** पर भी उपलब्ध कराएगी। साथ ही, वार्षिक प्रतिवेदन की भौतिक प्रतियाँ कार्य घण्टों के दौरान निरीक्षण के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध होंगी।

5. अधिनियम की धारा 170 के तहत रखे गए अनुसार, निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा उनकी शेयरधारिता की पंजी वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों के निरीक्षणार्थ उपलब्ध होगी।
6. इस सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज तथा व्याख्यात्मक विवरणी इस सूचना की तारीख से वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रातः 10.00 बजे से लेकर अपराह्न 4.00 बजे तक सदस्यों के निरीक्षणार्थ उपलब्ध होगी।
7. साम्या शेयरों पर लाभांश, यदि बैठक में घोषित किया जाए, के लिए पात्र सदस्यों के नामों को निर्धारित करने के लिए कंपनी के सदस्यों की पंजी और शेयर अंतरण बही को दिनांक 16/09/2014 से 25/09/2014 तक (दोनों दिनों सहित) बंद रखा जाएगा।
8. वर्ष 2013-14 हेतु अंतिम लाभांश, यदि बैठक में घोषित हो, घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों को प्रदेय होगा जिनके नाम यथा 15 सितंबर 2014 को कंपनी के सदस्यों की पंजी में प्रकट होते हैं।

कंपनी जहाँ कहीं संभव हो, लाभांश भुगतान ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम) द्वारा तथा अन्य मामलों में लाभांश वारंट / बैंक मांग पत्र द्वारा करेगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में, लाभांश का भुगतान यथा 15 सितंबर 2014 को कारोबारी घण्टों की समाप्ति पर इस प्रयोजन हेतु निक्षेपकर्ताओं (एन एस डी एल तथा सी डी एस एल) द्वारा दिए गए हिताधिकारी स्वामित्व ब्योरो के आधार पर किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य नोट करें कि उनके संबंधित निक्षेपागार खातों के समक्ष दर्ज बैंक विवरणों का प्रयोग कंपनी द्वारा लाभांश के भुगतान हेतु किया जाएगा।

In support of the "Green Initiative" of the Government of India and in terms of Section 101 of the Act and Rule 18 of the Companies (Management & Administration) Rules 2014, this Notice of AGM and other documents including the Annual Report are being sent in electronic mode by email to those shareholders who have furnished their email address in their demat accounts.

However, Members may please note that they will be entitled to a hard copy of Balance Sheet of the Company and all attachments thereto, including the Statement of Profit and Loss and Auditors' Report, upon receipt of a requisition, free of cost.

Members interested to receive the documents in physical form may please give the intimation to the Company's Registrars, M/s. Integrated Enterprises (India) Ltd. at the earliest, duly quoting the Demat A/c details. Alternatively, the request, duly quoting the Demat A/c details, may be sent by email at email ID : **irg@integratedindia.in**

As directed by MCA vide its above circulars, the Company would also make available these documents on the Company's website viz. **http://www.bel-india.com** for perusal and download by the shareholders. Also, the physical copies of Annual Report would be available at the Registered Office of the Company for inspection during office hours.

5. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding, maintained under Sec. 170 of the Act, will be available for inspection by the Members at the AGM.
6. All the documents referred to in this Notice and the Explanatory Statement will be available for inspection by the Members at the Registered Office of the Company between 10.00 am and 4.00 pm on all working days from the date of this Notice upto the date of the AGM.
7. The Company's Register of Members and Share Transfer Books will be closed from 16/09/2014 to 25/09/2014 (both days inclusive) for determining the names of members eligible for dividend on Equity shares, if declared at the Meeting.
8. The Final Dividend for the year 2013-14, if declared at the Meeting, will be payable within 30 days from the date of declaration, to those members whose names appear on the Company's Register of Members as on 15 September 2014.

Company will be making the dividend payment by ECS (Electronic Clearing Services), wherever possible and by dividend warrant / Bank demand drafts in other cases. In respect of shares held in electronic form, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership details furnished by the Depositories (NSDL & CDSL), as at the close of business hours on 15 September 2014, for this purpose. Members holding shares in electronic form may note that bank particulars registered against their respective depository accounts will be

कंपनी या इसके पंजीयक बैंक संबंधी विवरणों या बैंक आज्ञा में किसी परिवर्तन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेर धारित करने वाले सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तनों को सदस्यों के निक्षेपागार सहभागी को ही सूचित किया जाना है। जिन सदस्यों ने निक्षेपागार खाता खोलने के बाद अपना बैंक खाता परिवर्तित किया है और निक्षेपागार खाता खोलते समय विनिर्दिष्ट खाते के अलावा खाते में लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे सदस्यों से अनुरोध है कि वे 11 सितंबर 2014 से पहले अपने निक्षेपागार सहभागी से अपने बैंक खाते के ब्यौरे (नौ अंकों के बैंक कूट सहित) में परिवर्तन / सुधार कर लें।

9. अधिनियम की धारा 124 के तहत कंपनियों को अदत्त लाभांश खाते में कंपनियों द्वारा अंतरित ऐसी राशि जो सात वर्षों की अवधि हेतु दावा न की गई / अदत्त रहती है, को अधिनियम की धारा 125 के तहत सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा व संरक्षा कोष (कोष) में अंतरित करना आवश्यक है। इस अधिनियम की धारा 125 के अनुसार, कोष को इस प्रकार अंतरित अलग-अलग राशियों के संबंध में कोष या कंपनी के समक्ष कोई दावे नहीं होने चाहिए तथा ऐसे किसी भी दावे के संबंध में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। वर्ष 2013-14 के दौरान, कंपनी ने अदत्त लाभांश खाते से ₹ 146,240 की राशि को कोष में अंतरित किया है (2005-06 के अंतिम लाभांश का ₹ 110,504 और वर्ष 2006-07 के अंतरिम लाभांश का ₹ 35,736)। वर्ष 2006-07 के लिए दावा न किए गए / अदत्त लाभांश और वर्ष 2007-08 के लिए अंतरिम लाभांश वर्ष 2014-15 में निधि में अंतरित करने हेतु नियत है। इसे कार्यान्वित करने और राशि प्राप्त करने के लिए संबंधित शेयरधारकों को सूचनाएँ भेज दी गई हैं। कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.bel-india.com में "निवेशकों के लिए सूचना" नामक एक पृथक पृष्ठ में 2006-07 से लेकर अब तक के लाभांश भुगतान के ब्यौरे तथा अदत्त लाभांश का दावा करने की मार्गदर्शी सूचना लगाई है। शेयरधारकों से निवेदन है कि वे अदत्त / दावा न किए गए लाभांश का दावा करने के लिए इसमें दिए गए फार्म का प्रयोग करें।
10. कंपनी के लेखों के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न, लिखित में, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में ऐसे भेजे कि वे बैठक से कम से कम 7 दिनों पहले पहुँच जाएँ ताकि अपेक्षित सूचना बैठक में उपलब्ध हो सके।
11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक प्रतिवेदन और सूचना की अपनी प्रतियाँ बैठक में साथ लेकर लाएँ।
12. बैठक में सम्मिलित हो रहे सदस्यों / परोक्षियों से अनुरोध है कि वे संलग्न उपस्थिति पर्ची भरकर उसे बैठक के प्रवेश स्थल पर सुपुर्द करें।
13. बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, केवल ऐसे संयुक्त धारक जो नामों के क्रम में ऊपर होंगे, मतदान करने के हकदार होंगे।
14. शेयरों को भौतिक रूप में धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते में हुए किसी भी परिवर्तन के बारे में कंपनी के पंजीयक व अंतरण एजेंट मेसर्स इंटीग्रेटेड इंटरप्राइजेस (इंडिया) लि., 30, रमणा रेसिडेन्सी, भूतल,

used by the Company for payment of dividend. The Company or its Registrars cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandate. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members. Members who have changed their bank account after opening the Depository Account and want to receive dividend in an account other than the one specified while opening the Depository Account, are requested to change/correct their bank account details (including the nine digit Bank code) with their Depository Participant, before 11 September 2014.

9. Under Section 124 of the Act, companies are required to transfer to the Investor Education and Protection Fund (the Fund) established by the Government under Section 125 of the Act the money transferred by the companies to the Unpaid Dividend Account and which remain unclaimed/unpaid for a period of seven years. As per Section 125 of the Act no claims shall lay against the Fund or the Company in respect of individual amounts thus transferred to the Fund and no payment shall be made in respect of any such claims. During the year 2013-14, the Company transferred to the Fund an amount of ₹ 146,240 from the Unpaid Dividend Account (₹ 110,504 of final dividend 2005-06, and ₹ 35,736 of interim dividend 2006-07). The unclaimed/ unpaid final dividend for the year 2006-07 and interim dividend for the year 2007-08 are due for transfer to the Fund in 2014-15. Notices to this effect have been sent to the respective shareholders to enable them to claim and receive the amount. The Company has posted on its website www.bel-india.com in a separate page titled "Information for Investors" the details of dividend payment since 2006-07 onwards and guidance information for claiming unpaid dividend. Members are requested to make use of the claim form provided therein to claim unpaid/unclaimed dividend.
10. Members desirous of getting any information in respect of Accounts of the Company are requested to send their queries, in writing, to the Company at the Registered Office so as to reach at least 7 days before the meeting so that the required information can be made available at the meeting.
11. Members are requested to bring their copies of the Annual Report and the Notice to the meeting.
12. Members/Proxies attending the meeting are requested to complete the enclosed Attendance Slip and deliver the same at the entrance of the meeting venue.
13. In case of joint holders attending the Meeting, only such joint holder who is higher in the order of names will be entitled to vote.
14. Members holding shares in physical form are requested to notify to the company's Registrars and Transfer Agent, M/s Integrated Enterprises (India) Ltd., 30, Ramana Residency, Ground Floor,

4था क्रॉस, सम्पिंगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूर-560 003, दूरभाष 080-23460815-18, फ़ैक्स 080-23460819 को लिखित सूचना भेजते हुए तुरंत सूचित करें। शेयरों को डीमैट रूप में धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित निक्षेपागार सहभागियों से संपर्क करें जिनके साथ उन्होंने डीमैट खाता खोला है और पते में हुए परिवर्तन को दर्ज करा लें।

15. जो शेयरधारक अब तक शेयरों को भौतिक रूप में धारित करते हैं उन्हें यह परामर्श दिया जाता है कि वे शेयर प्रमाण-पत्रों के खो जाने / गलत स्थान पर रखे जाने / चोरी / जालसाजी से पैदा होने वाली परेशानियों से बचने के लिए अपने हित में शेयरों को डीमैट करा लें। कंपनी ने शेयरधारकों को बी ई एल के शेयरों को डीमैट कराने हेतु दोनों निक्षेपागारों अर्थात् एन एस डी एल और सी डी एस एल के साथ करार किए हैं। सदस्य इस संबंध में कृपया पंजीयक व अंतरण एजेंट, मेसर्स इंटीग्रेटेड इंटरप्राइजेस (इंडिया) लि. से संपर्क करें।

ई-मतदान के लिए अनुदेश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुपालन में तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के पुनरीक्षित खण्ड 35-बी के परिप्रेक्ष्य में, सदस्यों को दिनांक 25 सितंबर 2014 को मध्याह्न 2 बजे होने वाली 60वीं वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने की सूचना में निर्धारित सभी संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने हेतु अतिरिक्त रूप से ई-मतदान की सुविधा सहर्ष प्रस्तुत करती है। कंपनी ने ई-मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सेक्योरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाओं को नियोजित किया है।

ई-मतदान सुविधा <https://www.evoting.nsdl.com> लिंक में उपलब्ध है।

कृपया अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पहले नीचे मुद्रित अनुदेशों को पढ़ें।

ये ब्यौरे तथा अनुदेश 25 सितंबर 2014 को होने वाली 60वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना का अभिन्न भाग बनते हैं।

ई-मतदान के अनुदेश इस प्रकार हैं -

ई-मतदान करने के कदम -

- I. सदस्य जिनकी शेयरधारिता डीमटीयलीकृत फार्म में हैं तथा जिनके ई-मेल एड्रेस कंपनी / डिपोजिटरी सहभागी (सहभागियों) के पास दर्ज किए गए हैं, एनएसडीएल से ई-मेल प्राप्त करेंगे जिसमें यूज़र-आईडी तथा पासवर्ड सूचित किए जाएंगे।
 1. ई-मेल खोले और अपने क्लाइंट आईडी या फोलियो संख्या को पासवर्ड बनाते हुए पीडीएफ फाइल यानी "Bharat Electronics e-voting.pdf" खोलें। इस पीडीएफ फाइल में ई-मतदान के लिए आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा। कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड है, जिसे सदस्य बदल सकते हैं।
 2. यूआरएल URL: <https://www.evoting.nsdl.com> टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र लॉच करें।
 3. शेयरधारक - लॉगिन पर क्लिक करें।

4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bangalore – 560 003, Tel. 080-23460815-18, Fax. 080-23460819 immediately any change in their address, by sending a written communication. Members who are holding shares in demat form are requested to contact the respective Depository Participants with whom they have opened the Demat Account and get the change of address recorded.

15. Members still holding shares in physical form are advised to dematerialise the shares in their own interest to avoid difficulties arising from loss/misplacement/theft/forgery of share certificates. Company has entered into agreements with both the depositories, viz. NSDL and CDSL to enable the shareholders to dematerialise BEL shares. In this connection, Members may please contact the Registrar and Transfer Agent, M/s Integrated Enterprises (India) Ltd.

Instructions for e-voting

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as well as in terms of the revised Clause 35-B of the Listing Agreement with Stock Exchanges, the Company is pleased to offer e-voting facility, additionally, to the members to cast their votes electronically on all resolutions set forth in the Notice convening the 60th Annual General Meeting to be held on the 25 day of September, 2014 at 2.00 pm. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide the e-voting facility.

The e-voting facility is available at the link <https://www.evoting.nsdl.com>

Please read the instructions printed below before exercising your vote.

These details and instructions form an integral part of the Notice for the 60th Annual General Meeting to be held on 25 September 2014.

The instructions for e-voting are as under :

Steps for e-voting :

- I. Members whose shareholding is in the dematerialised form and whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants(s) will receive an email from NSDL informing the User-ID and Password.
 1. Open email and open PDF file viz.; "Bharat Electronics e-voting.pdf" with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password for e-voting. Please note that the password is an initial password, which the member may change.
 2. Launch internet browser by typing the URL: <https://www.evoting.nsdl.com>
 3. Click on Shareholder – Login.

4. यदि आप ई-मतदान करने के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं, तो लॉगिन करने के लिए आप अपने विद्यमान यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
 5. यदि आप पहली बार लॉगिंग कर रहे हैं, तो कृपया कदम (1) में बताए गए प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में यूजर आईडी और पासवर्ड को प्रविष्ट करें।
 6. पासवर्ड चेंज का मेन्यू, प्रकट होगा। अपनी पसंद का ऐसा नया पासवर्ड डालें जिसमें कम से कम 8 अंकों / अक्षरों का सम्मिश्रण हो। इस नए पासवर्ड को नोट कर लें। आपको सख्त हिदायत दी जाती है कि अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय बनाए रखने के लिए अत्यधिक ध्यान रखें।
 7. ई-मतदान का होम पेज खुलेगा। ई-वोटिंग - एक्टिव वोटिंग साइकल्स पर क्लिक करें।
 8. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के "EVEN" (ई वोटिंग इवेंट नंबर) को चुनें।
 9. मताधिकार का प्रयोग करें - पेज खुलते ही अब आप ई-मतदान के लिए तैयार हैं।
 10. उपयुक्त विकल्प को चुनते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें और "Submit" पर क्लिक करें और उसके बाद "Confirm" पर क्लिक करें।
 11. पुष्टिकरण के बाद, "Vote cast successfully" संदेश प्रदर्शित होगा।
 12. संकल्प पर एक बार मतदान कर दिए जाने के बाद, आप अपने मत में संशोधन नहीं कर सकेंगे।
 13. संस्थागत सदस्यों (यानी व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि) को विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरी जो मतदान करने के लिए प्राधिकृत हैं, के हस्ताक्षर के अधिप्रमाणित नमूनों के साथ-साथ संबंधित मंडल संकल्प / प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (pdf/jpg फॉर्मेट) gthirupal@gmail.com को तथा उसकी प्रति evoting@nsdl.co.in को ई-मेल द्वारा स्कूटिनाइज़र, को भेजनी है।
- II. ऐसे सदस्य जो शेयरों को डीमटीरियलीकृत रूप में धारित करते हैं जिनके ई-मेल आईडी कंपनी / डिपोजिटरी सहभागियों के पास दर्ज नहीं हैं, ऐसे सदस्य जो शेयरों को भौतिक रूप में धारित करते हैं तथा ऐसे सदस्य जिन्होंने सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन की भौतिक प्रति का अनुरोध किया है, निम्नलिखित अनुदेश नोट करें -
1. वार्षिक सामान्य बैठक के लिए उपस्थिति पर्ची के नीचे प्रारंभिक पासवर्ड इस प्रकार दिया गया है -
EVEN (ई मतदान इवेंट संख्या) **यूजर आईडी पासवर्ड**
 2. अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कृपया उपर्युक्त, (I) में क्र.सं. 1 से क्र.सं. 13 तक के सभी कदमों का पालन करें।
4. If you are already registered with NSDL for e-voting, then you can use your existing User ID and Password for Login.
 5. If you are logging for the first time, please enter the User ID and Password as initial password noted in step (1) above. Click Login.
 6. Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits / characters or combination thereof. Note new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
 7. Home page of e-voting opens. Click on e-voting: Active Voting Cycles.
 8. Select "EVEN" (E Voting Event Number) of Bharat Electronics Limited.
 9. Now you are ready for e-voting as Cast Vote page opens.
 10. Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
 11. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
 12. Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
 13. Institutional Members (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (pdf/jpg format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory(ies) who are authorised to vote, to the Scrutinizer through e-mail to gthirupal@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
- II. For Members holding shares in dematerialised form whose email IDs are not registered with the Company/Depository Participants, Members holding shares in physical form as well as those Members who have requested for a physical copy of the Notice and Annual Report, the following instructions may be noted :
1. Initial password is provided as below at the bottom of the Attendance Slip for the AGM :
EVEN (E Voting Event Number) **USER ID PASSWORD**
 2. Please follow all steps from Sr. No. 1 to Sr. No. 13 in (I) above, to cast vote.

सामान्य अनुदेश

1. यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड करने योग्य भाग में उपलब्ध शेयरधारकों के ई-मतदान प्रयोक्ता मैनुअल का संदर्भ लें या फ़ोन नंबर 022-24994600 पर एनएसडीएल से संपर्क करें।

General Instructions

1. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the phone No. 022-24994600.

2. ई-मतदान वेबसाइट पर लॉगिन करने के लगातार पाँच असफल प्रयास के बाद वेबसाइट निष्क्रिय हो जाएगी। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड दोबारा सेट करने के लिए साइट में उपलब्ध 'Forgot Password' विकल्प से आगे बढ़ना होगा।
3. यदि आप ई-मतदान करने के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आप अपने विद्यमान यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
4. आप फोलियो के यूजर प्रोफाइल ब्यौरे में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन भी कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल भावी सम्प्रेषण भेजने के लिए किया जा सकता है।
5. ई-मतदान की अवधि 19 सितंबर 2014 (सुबह 9:00 बजे) से शुरू होगी और 21 सितंबर 2014 (शाम 6:00 बजे) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य जो शेयरों को भौतिक रूप में या डिमटीरियलीकृत रूप में धारित करते हैं, 22 अगस्त 2014 की संबद्ध तारीख (रिकार्ड तारीख) को, अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। उसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा ई-मतदान का मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर मतदान का प्रयोग कर लिए जाने के बाद, सदस्यों को उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
6. सदस्यों के मतदान अधिकार 22 अगस्त 2014 की संबद्ध तारीख (रिकार्ड तारीख) को कंपनी की चुकता साम्या शेयर पूंजी के उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।
7. कंपनी ने ई-मतदान की प्रक्रिया की उचित एवं पारदर्शी ढंग से छानबीन करने के लिए श्री तिरुपाल गोरिजे, एफसीएस 6680, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को स्क्रीटिनाइजर नियुक्त किया है।
8. स्क्रीटिनाइजर ई-मतदान की अवधि की समाप्ति से अधिकतम तीन (3) कार्यदिवसों की अवधि के भीतर, ऐसे दो (2) गवाह जो कंपनी के नियोजन में नहीं हैं, की मौजूदगी में मतों को खोलेंगे और पक्ष या विपक्ष, यदि कोई हो, में डाले गए मतों की स्क्रीटिनाइजर की रिपोर्ट तत्काल रूप से कंपनी के अध्यक्ष को करेंगे।
9. परिणामों की घोषणा कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक में या बैठक के बाद की जाएगी। स्क्रीटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ-साथ घोषित परिणामों को कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक में संकल्पों के पारित होने के दो (2) दिनों के भीतर कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट पर लगाया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा।
2. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the 'Forgot Password' option available on the site to reset the password.
3. If you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.
4. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).
5. The e-voting period commences on 19 September 2014 (9:00 am) and ends on 21 September 2014 (6:00 pm). During this period Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the relevant date (record date) of 22 August 2014, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
6. The voting rights of Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on the relevant date (record date) of 22 August, 2014.
7. The Company has appointed Mr Thirupal Gorige, FCS 6680, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
8. The Scrutinizer shall within a period not exceeding three(3) working days from the conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least two(2) witnesses not in the employment of the Company and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman of the Company.
9. The Results shall be declared on or after the AGM of the Company. The Results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.bel-india.com and on the website of NSDL within two(2) days of passing of the resolutions at the AGM of the Company and communicated to the stock exchanges.

सूचना का संलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तारतम्य में व्याख्यात्मक विवरण।

मद सं. 5 - 7 के संबंध में

चूंकि आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसके मंडल के निदेशक भारत सरकार (सरकार) द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

सरकार ने श्री पी आर आचार्या, आईए एवं एएस को उनके पद ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए या उनकी अधिवार्षिता की तारीख तक या जब तक आगे के आदेश नहीं दिए जाते, इनमें से जो भी पहले हो, तत्काल अवशोषण आधार पर, ₹ 75000-100000 के वेतनमान में निदेशक (वित्त), बीईएल के पद पर नियुक्त किया

ANNEXURE TO THE NOTICE

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013.

In respect of item No. 5 - 7

Your Company being a Government Company, the Directors on the Board are appointed by the Government of India (the Government).

The Government appointed Mr P R Acharya, IA&AS to the post of Director (Finance), BEL in the scale of pay of ₹ 75000-100000 (vide letters dtd 24 May, 2013 & 12 February 2014), on immediate absorption basis for a period of five years from the date of his assumption of the charge of the post or till the date

(पत्र दिनांक 24 मई 2013 और 12 फरवरी 2014 देखें)। श्री पी आर आचार्या ने दिनांक 02 सितंबर 2013 से प्रभावी, निदेशक (वित्त) का कार्यभार संभाला।

सरकार ने दिनांक 15 मई 2014 को ले. जन. सी ए कृष्णन, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, उप थलसेनाध्यक्ष (पी एंड एस), र.मं. के आईएचक्यू (थलसेना) को आगे के आदेश दिए जाने तक, दिनांक 1 मई 2014 से प्रभावी करते हुए, बीईएल के मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी निदेशक) नियुक्त किया।

सरकार ने श्री मनमोहन हाण्डा को उनके पद ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए या उनकी अधिवार्षिता की तारीख तक या जब तक आगे के आदेश नहीं दिए जाते, इनमें से जो भी पहले हो, तत्काल अवशोषण आधार पर, ₹ 75000-100000 के वेतनमान में निदेशक (वित्त), बीईएल के पद पर नियुक्त किया (पत्र दिनांक 23 जून 2014 देखें)। श्री मनमोहन हाण्डा ने दिनांक 24 जून 2014 से प्रभावी, निदेशक (बेंगलूर काम्प्लेक्स) का कार्यभार संभाला।

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक और उनकी नियुक्ति के निबंधन

केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र का उद्यम होने के कारण, पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति के सरकारी पत्र में नियुक्ति की अवधि, मूल वेतन, वेतनमान, महंगाई भत्ता, आवास की हकदारिता आदि सहित उनकी नियुक्ति के विस्तृत निबंधन व शर्तें दर्शाई जाती हैं और इसमें यह भी दर्शाया जाता है कि ऐसे अन्य निबंधन व शर्तों के संबंध में जो पत्र में शामिल नहीं किए गए हैं, कंपनी के संबद्ध नियम लागू होंगे।

नियुक्ति पत्र में दर्शित वेतनमान के अतिरिक्त, वे सरकारी नियमों के अनुसार नई आईडीए योजना के अनुसार डी.ए., एचआरए / कंपनी के अपने आवास / पट्टे के आवास / स्व-पट्टे, मूल वेतन के अधिकतम 50% की शर्त पर अनुलब्धियाँ, कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन, स्टाफ कार आदि के लिए हकदार होते हैं और इन्हें उनके नियुक्ति पत्र में दर्शाया जाता है। उनकी छुट्टी की हकदारिता तथा अन्य अनुलाभ कंपनी के नियमों के अनुसार होते हैं।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161(1) तथा कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 71सी के तारतम्य में निदेशक मंडल ने क्रमशः दिनांक 25 अक्टूबर 2013, 30 मई 2014 और 31 जुलाई 2014 को हुई बैठकों में उपर्युक्त तीन व्यक्तियों को अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि तक पदधारित करने के लिए अतिरिक्त निदेशकों के रूप में नियुक्त किया है।

तत्पश्चात, कंपनी ने सदस्यों से अधिनियम की धारा 160 के तहत कंपनी के निदेशकों के रूप में उपर्युक्त तीन व्यक्तियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव करने के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखित में तीन सूचनाएँ प्राप्त की हैं और ऐसी प्रत्येक सूचना के साथ ₹ 1,00,000/- की राशि प्राप्त की है।

स्टाक एक्सचेंजों के सूचीकरण करार के अनुसार शेयरधारकों को अग्रेषित किए जाने हेतु आवश्यक, उपरोक्त नए निदेशकों के संक्षिप्त जीवन-वृत्त संलग्न है। आपके निदेशक महसूस करते हैं नए निदेशकों के ज्ञान तथा समृद्ध अनुभव से कंपनी को अत्यधिक लाभ होगा और तदनुसार सूचना की मदद सं. 5-7 में प्रस्तावित संकल्प पारित करने की संस्तुति करते हैं।

of his superannuation, or until further orders, whichever is earlier. Mr P R Acharya assumed charge as Director (Finance) w.e.f. 02 September 2013.

The Government on 15 May 2014 appointed Lt Gen C A Krishnan, UYSM, AVSM, Deputy Chief of Army Staff(P&S), IHQ of MoD (Army) as part-time official Director (Govt. Director) on the BEL Board w.e.f. 1 May 2014, till further orders.

The Government appointed Mr Manmohan Handa to the post of Director (Bangalore Complex), BEL in the scale of pay of ₹ 75000-100000 (vide letter dtd 23 June 2014), on immediate absorption basis for a period of five years from the date of his assumption of the charge of the post or till the date of his superannuation, or until further orders, whichever is earlier. Mr Manmohan Handa assumed charge as Director (Bangalore Complex) w.e.f. 24 June 2014.

Remuneration and terms of appointment of whole time Directors

Being a Central Government Public Sector Enterprise, the appointment, tenure and remuneration of whole time Directors are decided by the Government of India. The Government letter appointing the whole time Directors indicate the detailed terms and conditions of their appointment, including the period of appointment, basic pay, scale of pay, dearness allowance, entitlement to accommodation etc, and it also indicates that in respect of other terms and conditions not covered in the letter, the relevant rules of the Company will apply.

In addition to the pay scale indicated in the appointment letter, they are entitled to DA in accordance with the New IDA scheme, HRA / Company's own accommodation / leased accommodation / self-lease, perquisites subject to a maximum of 50% the basic pay, performance related pay, staff car etc. as per Government rules and indicated in their appointment order. Their leave entitlement and other benefits will be as per Company Rules.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors at Board meetings held on 25 October 2013, 30 May 2014 and 31 July 2014, respectively, appointed the above three persons as Additional Directors to hold office upto the date of the next Annual General Meeting.

Subsequently, the Company has received three notices in writing under Section 160 of the Act from members signifying their intention to propose the appointment of above three persons as Directors of the company and a deposit of ₹ 1,00,000/- has been received along with each of these notices.

Brief resume of the above new directors, required to be forwarded to the Shareholders as per Listing Agreement with Stock Exchanges is enclosed. Your Directors feel that the Company would immensely benefit from the knowledge and rich experience possessed by the new Directors and accordingly recommend the passing of the resolutions proposed at item No. 5-7 of the Notice.

कंपनी के कोई भी निदेशक (ऊपर उल्लिखित नाम के तीन नए निदेशकों को छोड़कर) तथा कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार मद सं. 5-7 में दिए गए संकल्प में किसी भी प्रकार से संबद्ध या इच्छुक नहीं है।

मद सं. 8 के संबंध में

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी आदेश सं. एफ. नं. 52/26/सीएबी-2010 दिनांक 6 नवंबर 2012 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षितानुसार, कंपनी अपने लागत लेखांकन के अभिलेखों को वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेखा परीक्षा कराती आ रही है।

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने लागत लेखों को रखने तथा दिनांक 26 मार्च 2014 को लागत लेखा परीक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (एक्ट) की धारा 148 को अधिसूचित किया है जिसे दिनांक 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी होना है।

अधिनियम की धारा 148(3) जो 31 मार्च 2014 को अधिसूचित (तथा 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षकों के नियम), 2014 (नियम) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल लेखा परीक्षा समिति, जो लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक की भी सिफारिश करेगी, की सिफारिश पर लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। इस नियम की यह भी आवश्यकता है कि लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन तदुपरांत शेरधारकों द्वारा भी किया जाएगा।

लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, बीईएल के निदेशक मंडल ने मे. पी. एस. वी. एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, बेंगलूर को इस संकल्प में यथा दर्शित निबंधनों/पारिश्रमिक पर वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी की लागत लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। अधिनियम की धारा 148(3) जिसे नियमों के नियम 14 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत यथा अपेक्षित, निदेशक मंडल द्वारा तय किए गए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को अनुसमर्थन के लिए शेरधारकों के समक्ष पेश किया जाता है।

कंपनी के कोई भी निदेशक तथा कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार मद सं. 8 में दिए गए संकल्प में किसी भी प्रकार से संबद्ध या इच्छुक नहीं है।

स्टॉक एक्सचेंजों के सूचीकरण करार के खण्ड 49 के तहत यथा अपेक्षित, नियुक्ति / पुनःनियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त जीवन-वृत्त

निदेशकों की पुनःनियुक्ति

श्री एम एल षण्मुख ने 14 अगस्त 2004 को निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में बीईएल में कार्यग्रहण किया। वे अर्थशास्त्र में बीए, एलएलबी और कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारित करते हैं। बीईएल के मंडल में उच्च पद पर पदोन्नत होने से पूर्व श्री षण्मुख रेल मंत्रालय के अधीन ब्लूचिप पीएसयू भारतीय कंटेनर कार्पोरेशन में ग्रुप महाप्रबंधक (मा.सं.वि.) थे। इससे पहले उन्होंने केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड में कार्य किया था। उन्हें मानव संसाधन प्रबंधन, औद्योगिक संबंध एवं कर्मचारी कल्याण के क्षेत्रों में कई वर्षों का अनुभव है। श्री एम एल षण्मुख बीईएल की सहायक कंपनी, बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवीजंस लि. (बेलॉप) के मंडल में बीईएल के नामित निदेशक हैं। वे बेलॉप में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं। वे बीईएल में शेरधारक / निवेशक शिकायत समिति के सदस्य हैं। वे बीईएल में कोई शेर धारित नहीं करते।

श्री पी सी जैन ने 1 सितंबर 2013 को निदेशक (विपणन) का कार्यभार संभाला। इस पदोन्नति से पहले वे बीईएल-बेंगलूर में मिसाइल सिस्टम्स रणनीतिक कारोबारी

None of the Company Directors (other than the above named three new Directors) and Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is in any way concerned or interested in the resolutions set out at item No. 5 – 7.

In respect of item No. 8

As required under the provisions of Order No F.No 52/26/CAB – 2010 dated 6 November 2012 issued by Ministry of Corporate Affairs the Company has been getting its Cost Accounting Records audited from the Financial Year 2012-13 onwards.

The Ministry of Corporate Affairs has notified Section 148 of the Companies Act, 2013 (the Act) regarding maintenance of Cost Accounts and Cost Audit on 26 March 2014 to be effective from 1 April 2014.

As per S.148(3) of the Act read with Rule 14 of Companies (Audit and Auditors Rules), 2014 (the Rules) notified on 31 March 2014 (and effective from 1 April 2014) the Board of Directors of the company shall appoint the Cost Auditor on the recommendation of the Audit Committee, which shall also recommend remuneration for the Cost Auditor. The rule also requires that the remuneration of the Cost Auditor shall be ratified by the shareholders subsequently.

As recommended by the Audit Committee, BEL Board of Directors appointed M/s P S V & Associates, Cost Auditors, Bangalore to conduct cost audit of the Company for the financial year 2014-15 on the terms/remuneration as indicated in the resolution. As required under S.148(3) of the Act, read with Rule 14 of the Rules, the remuneration of the cost auditors, fixed by the Board of Directors, is placed before the Shareholders for ratification.

None of the Company Directors and Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is in any way concerned or interested in the resolutions set out at item No. 8.

BRIEF RESUME OF DIRECTORS SEEKING APPOINTMENT / REAPPOINTMENT, AS REQUIRED UNDER CLAUSE 49 OF THE LISTING AGREEMENT WITH STOCK EXCHANGES

RE-APPOINTMENT OF DIRECTORS

Mr M L Shanmukh joined BEL as Director (Human Resources) on 14 August 2004. He holds BA in Economics, LLB and Post Graduate Diploma in Personnel and Industrial Relations. Before being elevated to the BEL Board, Mr Shanmukh was Group General Manager (HRD) at Container Corporation of India, a blue chip PSU under the Ministry of Railways. Prior to that, he had worked in the Kerala State Electronics Development Corporation Limited. He possesses several years of experience in the fields of Human Resources Management, Industrial Relations and Employee Welfare. Mr M L Shanmukh is a BEL nominee Director on the Board of BEL's subsidiary company, BEL Optronics Devices Ltd. (BELOP). He is also the Chairman of the Audit Committee in BELOP. He is a member of Shareholders/Investors Grievance Committee in BEL. He does not hold any shares in BEL.

Mr P C Jain took charge as Director (Marketing) on 1 September 2013. He was General Manager of Missile Systems Strategic Business